



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

पंजिकृत रसीदी
उल्लंघन पत्र



दूसरी मंजिल, जी.एस.आई. फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-छ.ग.-(492005,
टेलीफेक्स 0771-2282530, 2285595, Email-ro.raipur.ibm@gmail.com

सं छग/राय/चूना-38CHG05025 दिनांक 22-11-2017
प्रेषित: श्रीमती सुमन सिंह,
द्वारा श्री राणा अरुण कुमार सिंह
40, पुराना नेहरू नगर (ई),
भिलाई, जिला दुर्ग
छत्तीसगढ़ 490 020
विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी सहगांव चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 4.3187 हे पर खसंविनि
2017 के नियमों का उल्लंघन।
महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 11/09/2017 को श्री जे एस हाड़ा, सहायक खनन भूविज्ञानी द्वारा खान मालिक प्रतिनिधि श्री दिलिप चतुर्वेदि की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण एवं कार्यालय रिकार्ड की जाँच में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
26 (2) The Annual Report of the protective and rehabilitative works carried out for the year 2016-17 has not been submitted.

55 खान पर खनन अभियंता एवं भूविज्ञानी की नियुक्ती नहीं की गई है।
इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इन नियमों की पालना नहीं होने पर आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(रुद्र नारायण मिश्र)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

प्रति:

1. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपूर।
2. संचालक,, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो